

सायलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.171/17

दिनांक 23.11.17

सरकार बनाम देवकरण वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख० न० 667रकबा 0.09 है० किस्म जमीन बारानी में से०.09 है० पर देवकरण ,रामकरण ,रामस्वरूप ,जगदीश, बनवारी पुत्रान हरनारायण जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । इस लिये गैर सायल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः गैर सायलान देवकरण ,रामकरण ,रामस्वरूप ,जगदीश, बनवारी पुत्रान हरनारायण जाति गुर्जर निवासी मोरधा को आ०ख०न०667/0.09है०पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.13रू का पचास गुणा 57रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

दिनांक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।
पृष्ठ संख्या 78 पर 57रू
वसुली कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली